[14/3/2023]

2023/FWAD(ESTB)

प्रश्न सं. [क्र. 1850]

परिशिष्ट

तारां० प्रश्न क्रमांक -1850

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल दिनांक 05 जुलाई, 2016

कमांक एफ 4ए/55/2013/14-1: श्री जे0आर0हेड़ाऊ,उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा के विरूद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिये उनके विरूद्ध निम्न पदस्थापनों के कार्यकाल के दौरान जारी आरोप पत्र/स्पष्टीकरण के प्रकरण प्रचलित हैः-

(1) दिनांक 09.6.2006 से 28.7.2006 तक सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपसंभाग सीहोर पदस्थापना के दौरान खेततालाब योजना अंतर्गत 110 खेत तालाब के प्रकरणों की एक जाई तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई जांच के समय खेत तालाब अपूर्ण पाये गये जबकि श्री हेड़ाऊ को तकनकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार प्रदत्त नहीं थे।

(2) उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कटनी के पद पर पदस्थापना के दौरान जैविक खेती योजना में वर्मी खाद प्रदाय का प्रवधान न होने के बावजूद भी खाद कय कर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वर्मी कम्पोस्ट वितरण कराया गया।

(3) वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 में उपसंचाक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला सागर कार्यकाल के दौरान कार्यालय का आडिट कराये जाने पर विभिन्नन वित्तीय अनियमितताऐं प्रथमदृष्टया पाई गई।

(4) उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला टीकमगढ़ पदस्थापना के दौरान बुन्देलखण्ड पैकेज के कियान्वयन में बरती गई अनियमितताओं की जांच मुख्यतकनीकी परीक्षक (सर्तकता) संगठन द्वारा की गई । जिसमें गंभीर अनियमितताऐं प्रथमदृष्टया पाई गई है।

(5) उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा पदस्थापना के दौरान शासन निर्देश के विपरीत बीज निगम के पास उलब्ध बीज प्राप्त न कर निजी समितियों का बीज भारी मात्रा में खरीदा गया।

2/ उपरोक्त प्रकरणों में श्री जे0आर0हेड़ाऊ ,वर्तमान में उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला हरदा के विरूद्ध जारी आरोप पत्र/स्पष्टीकरण में वित्तीय अनियमितताओं एवं गंभीर कदाचरण में इनके द्वारा अभिलेखों/ तथा साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा श्री जे0आर0हेड़ाऊ, उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि

निरंतर.........2

विकास जिला हरदा को म0प्र0सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील नियम) 1966 के नियम -9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

3/ निलंबन अवधि में श्री जे0आर0हेड़ाऊ,उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास का मुख्यालय राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान सियेट भोपाल निर्धारित किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में श्री हेड़ाऊ को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

कमांक एफ-4ए/55/2013/14-1 भोपाल दिनांक 05 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि-

1- विशेष सहायक मान0 मंत्री /राज्य मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0भोपाल।
2- अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त म0प्र0भोपाल।
3- संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल म0प्र0।
4- संचालक,राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान सियेट भोपाल।
4- आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद म0प्र0।
5- कलेक्टर, हरदा म0प्र0
6- उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास, हरदा म0प्र0।
7- परियोजना संचालक,आत्मा समिति, हरदा म0प्र0।
8- श्री जे0आर0हेड़ाऊ,उपसंचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास,हरदा म0प्र0।
9- आर्डर फोल्डर/स्थापना लिपिक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग